वित्तीय दिशा–निर्देशन

कार्यक्रम का नाम –कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) – क्षतिपूर्ति राशि

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (B.22.3e)

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उदेश्य (5–10 वाक्य अधिकतम) –) कालाजार के अधिकांश रोगी गरीब वर्ग के होते है, जो मजदूरी कर अपना जीवन निर्वाह करते है। ऐसे लोग झुग्गी–झोपड़ी में सुदूर देहती इलाकों में रहते है, जहाँ से इलाज हेतु सरकारी अस्पतालों में आने में कठिनाई के अतिरिक्त इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल में चिकित्सा के दौरान 20–30 दिनों तक रहना पड़ता है। जिससे उनका दैनिक मजदूरी बाधित हो जाता है और उन्हें आर्थिक संकट की दोहरी मार हो जाती है। दैनिक मजदूरी तो नहीं मिलती, अलग से इलाज पर भी व्यय हो जाता हैं। परिणामस्वरूप कालाजार के ऐसे रोगी सरकारी संस्थानों में चिकित्सा अवधि (अधिकतम 30 दिन) तक श्रम क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी।

ईकाई राशि(रू0 रूपया में) 50 **रूपया** / Patient / Day

वित्तीय दिशा–निर्देशन कालाजार के ऐसे रोगियों को सरकारी संस्थानों में चिकित्सा अवधि (अधिकतम 30 दिन) तक 50 रूपये प्रतिदिन की दर से श्रम क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार I 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार I

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0– तिथि के साथ उल्लेखित करें)–

क) राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा दिये जानेवाले दिशा निदेश के आलोक में। जो विभागीय निर्णयोपरांत स्वीकृत किया जा सकेगा ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम– डा0 चन्द्रशेखर नारायण डा0 वीरेश्वर प्रसाद

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर – 94312.21853 / 94310.49924

SKumar